15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 179–तीन/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–01–2010 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 141/06–07 अपील

बनवारीलाल रावत् पुत्र जीवनलाल
ग्राम रतनपुर तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना , म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– उम्मेद सिंह पुत्र सूवा सिंह
ग्राम रतनपुर तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश

2– जसबंत सिंह पुत्र रतनलाल
ग्राम रतनपुर तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक क्र–1,2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 2-1 -2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 141/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–1–10 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम रतनुपर को कोटवार पद रिक्त हुआ, जिस पर से आवेदक एंव अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 1/2001-02 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-10-2002 पारित करके आवेदक को पटैल पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 2/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2007 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 141/2006-07 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 14-1-10 पारित किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये एंव अनावेदक क्रमांक-1 उम्मेसिंह की अपील स्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, सम्यक सूचना के अभाव में पंजीकृत डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहे हैं अतएव उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने जब आवेदक एंव अनावेदक क-1 के शिक्षण के बारे में परीक्षण किया है दोनों की

योग्यतायें पटैल पद नियुक्ति हेतु नियमों दी गई व्यवस्था के अनुरूप पाई गई हैं। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक को इसलिये पटैल पद के योग्य नहीं माना था क्योंकि उसके उपर बैंक का ऋण बकाया था, किन्तु अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14-1-2010 के पद 8 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 ने बैंक का समस्त ऋण चुकता कर दिया, जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 141/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-1-10 से अपील स्वीकार की है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति दिखाई नहीं है।

5/　　उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 141/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-1-10 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर